

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-09/2026/

पटना/दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान, पटना के पत्रांक-636 दिनांक-19.02.2026 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री नवाब साजिद ईकबाल, कनीय अभियंता (असै0), आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, सिवान का दिनांक 30.12.2025 से 01.01.2026 (कुल 03 दिन) तक की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(मनीष आनंद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान, पटना के पत्रांक-636 दिनांक- 19.02.2026 के क्रम में/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, सिवान/श्री नवाब साजिद ईकबाल, कनीय अभियंता (असै0), आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

1949

पटना/दिनांक - 15/4/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।  
13/04/26